

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 253/2019-20



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

मनोज नायक

- विक्रेता

सुनिता देवी

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
25.09.20	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक मनोज नायक पिता भोदरो नायक ग्राम महादेव टोली, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने सुनिता देवी पति पिकलू मछुवा ग्राम डी.ए.वी. रोड, खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकबा (एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>दतिया</td><td>87</td><td>26</td><td>162</td><td>0.04</td></tr></tbody></table> <p>अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 736 दिनांक 15.09.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता एवं क्रेता के द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण भूमि बिक्री की अनुषंसा नहीं की गयी है। अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुषंसा के आलोक में वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"> मनोज नायक खूँटी।</p> <p style="text-align: center;"> सुनिता देवी खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	दतिया	87	26	162	0.04	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
दतिया	87	26	162	0.04								